न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–44 / 2025

उनवान

1. गोर्धन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
.... वादीगण

बनाम

1. सत्येन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री भंवर सिंह राणावत जाति राजपूत नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.04.2026

यह है कि यह है कि सरहद ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू.अ.नि. क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 1905 / 605 रकबा 0.3668है0 भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में अन्य आराजियात के साथ वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी व अन्य की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 82 / 2024 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 03 तीन जुलाई 2024 दो हजार चौबीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक को होने पर माह जनवरी 2025 मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 1905 / 605 की दक्षिणी मेड़ पर 134 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जिससे दिनांक 22 बाईस मई 2025 दो हजार पच्चीस को उक्त आराजी की पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या

01 एक का आराजी नम्बर 1905/605 में से 134 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कब्जा पाया गया जो मौका पर्चा मे दर्शित है। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादी की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1905/605 में से 134 वर्गमीटर भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 20 बीस जुलाई 2025 दो हजार पच्चीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादी को धमकी दी कि बादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त आराजीयात से कब्जा नहीं छोड़ेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा सरहद ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 1905/605 रकबा 0.3668 हैक्टयर के दक्षिणी भेड़ पर 134 वर्गमीटर जो मौका पर्चा गे दर्शित है. भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक गाह जनवरी 2025 दो हजार पच्चीस को कब्जा कर लेने व दिनांक 22 बाईस मई 2025 दो हजार पच्चीस एवं दिनांक 20 बीस जुलाई 2025 दो हजार पच्चीस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के समक्ष पेश है। कि वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा सरहद ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1905/605 रकबा 0.3668 हैक्टयर के दक्षिणी मेड़ पर 134 वर्गमीटर जो मौका

पर्चा मे दर्शित है, भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादी 1– गोर्धन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) प्रदर्श–03 व 04 पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 82/2024 पारित आदेश दिनांकित 03.07.2024 की आदेश की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 22.05.2025 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां व प्रदर्श– 2 जमाबंदी संवत (2075–2078) साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी ।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते मे चली आ रही है। उक्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 से होती है। पटवार हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवः

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1905 रकबा 0.3668 है0 में सें 134 वर्गमीटर है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस रकबा 134 वर्गमीटर, भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 134 वर्गमीटर प्रतिवादीगण संख्या 01 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–44 / 2025

उनवान

1. गोर्धन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह राजपूत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. सत्येन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री भंवर सिंह राणावत जाति राजपूत नि0 खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 16–04–2026

वादीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द्र अहीर , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 16–04–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1905 रकबा 0.3668 है0 में सें 134 वर्गमीटर है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस रकबा 134 वर्गमीटर, भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को

दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 134 वर्गमीटर प्रतिवादीगण संख्या 01 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 16.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)